—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 99/2019

उनवान

1. किशना
2. मगना
3. भंवर
4. मांगीलाल
5. लक्ष्मण
6. पांची
7. सुवा पि. देवा समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम लवेरा, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री गोरधन गुर्जर

बनाम

1. ओमप्रकाश
2. महादेव पि. किशना
3. सोहनी पत्नी किशना
4. कमला पत्नी मेघा
5. बहादुर पुत्र मेघा
6. रूकमा पत्नी गोपी
7. भंवर सिंह
8. फूल सिंह
9. मदन सिंह
10. भागू सिंह
11. सुखदेव सिंह
12. पांची पि. गोपी
13. छोटी देवी पत्नी पूमा उर्फ प्रेम सिंह
14. रामचन्द्र पुत्र पूमा उर्फ प्रेम सिंह
15. तीजी पुत्री पूमा उर्फ प्रेम सिंह
16. सुवा पत्नी पांचू
17. नेती पुत्री पांचू
18. ढगरी
19. जगमाल
20. मांगू पि. पांचू
21. बीरमा
22. मंगला
23. हेमा पि. राजू समस्त जाति रावत नि. [illegible]डी, नसीराबाद
24. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
25. उप पंजीयक नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:12:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

26. मैनेजर बैंक आफॅ बडौदा शाखा बीर, अजमेर।

—:— अप्रार्थीगण :— 1, 7, 9 से 15, 17 से 22 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
26 अनुपस्थित, 24 व 25 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 2.1.25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लवेरा के वंर्किग खसरा नम्बर 106 हाल खसरा नम्बर 65 रकबा 0.38 की आराजी के मूल खातेदार पांचू पुत्र ज्वारा द्वारा जरियें विक्रय पत्र दिनांक 28.03.21 को प्रार्थीगण के पिता देवा पुत्र ज्वारा को बैचान की थी जिसका नामान्तकरण संख्या 120 दिनांक 20.09.2001 को प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज कर दिया गया। वंर्किग खसरा नम्बर 107, 110, 115, 113 के हाल खसरा नम्बर 54/0.26, 55/0.02, 43/0.51 व 61/0.81 की आराजी के खातेदार राजू पुत्र चतरा के वारिस अप्रार्थी संख्या 1 से 5 व अप्रार्थी संख्या 6 से 12 के पिता पेमा व अप्रार्थी संख्या 16 से 20 के पिता पांचू व अप्रार्थी संख्या 21 से 23 ने जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 28.03.2021 को प्रार्थीगण के पिता देवा पुत्र ज्वारा को बैचान की थी। उक्त खसरा नमबर में से हाल खसरा नम्बर 55/0.02 का 1/4 हिस्सा प्रार्थीगण के नाम दर्ज हो चुका हे तथा हाल खसरा नम्बर 43 रकबा 0.51 में ये 0.23 प्रार्थी संख्या 1 किशना के नाम दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 43 का रकबा 0.51 बनता है किन्तु जमाबंदी में रकबा 0.23 ही है। हाल खसरा नम्बर 65, 54, 61 को त्रुटिपूर्ण तरीके से अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दिया है। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतमनाजा पर दखलदांजी कर रहे है। तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 7, 9 से 15, 17 से 22 को जवाब का समुचित अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने के कारण जवाब बंद किया गया। शेष अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :—

ग्राम व प.म. लवेरा की आराजी दो अलग—अलग पंजीबद्व विक्रय पत्र द्वारा प्रार्थीगण के पिता देवा पुत्र ज्वारा ने ततकालीन खातेदार से क्रय की थी। वंर्किग खसरा नम्बर 106 के हाल खसरा नम्बर 65 का नामान्तकरण केता के नाम पूर्व में हो चुका था। हाल खसरा नम्बर 65, 54 व 61 प्रार्थीगण अथवा उनके पिता के नाम दर्ज नही होकर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। अप्रार्थीगण को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब पेश नही किया गया। यधपि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार है किन्तु प्रार्थीगण द्वारा आराजी मुतनाजा का विक्रय पत्र पेश किया है। भूमि का विक्रय होने के कारण वर्तमान इन्द्राज को प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद के माध्यम से चुनौती दी गयी है। मूल वाद के निस्तारण तक भूमि का संरक्षण आवश्यक है [illegible] विरूद्व अप्रार्थीगण जारी किया जाना न्यायोचित है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्ध होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की सम्भावना :— [illegible] सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र पेश

—3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:12:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

किये है जो दावाकृत आराजी से संबधित है। पूर्व में भूमि का नामानतकरण भी केता के पक्ष में हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :— न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :— अतः ग्राम व प.म. लवेरा के हाल खसरा नम्बर 65/0.38, 54/0.26 व 61/0.70 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरियें अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:12:07 IST
Reason: SelfAttested